

डिक्की मुकदमा इब्तदाई  
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत
2. योगराजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुरसिंह  
जातियान राजपूत निवासीयान बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम जिला करौली।  
(वादीगण)

बनाम

1. गुलाब कंवर पत्नि महावीरसिंह
2. दीजपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह
3. शेरसिंह पुत्र महावीर सिंह
4. कल्पना पुत्रिया महावीरसिंह
5. प्रीति कंवर पुत्रीया महावीर सिंह  
निवासी गुडनिया तहसील बसवा जिला दौसा जिला करौली।
6. तहसीलदार टोडाभीम

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा


उनवान

1. गुलाब देवी पत्नि महावीरसिंह
2. दीजपालसिंह पुत्र महावीरसिंह
3. शेरसिंह पुत्र महावीरसिंह
4. कल्पना पुत्री महावीरसिंह
5. प्रीतिकंवर पुत्री महावीरसिंह  
निवासीयान बदलेटा तहसील टोडाभीम जिला करौली हालवासी गुडलियावास  
तहसील बसवा जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह
2. योग राजेन्द्र सिंह  
जातियान राजपूत निवासी बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम जिला करौली।
3. भवानी सिंह पुत्र रतनसिंह
4. बलवन्तसिंह पुत्र रतनसिंह  
जातियान राजपूत निवासी गुडलियावास तहसील बसवा जिला दौसा।
5. बहादुर सिंह पुत्र माधोसिंह राजपूत
6. मनोरमा पत्नि बहादुरसिंह राजपूत
7. उपेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत
8. विश्वनाथ प्रतापसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत  
जातियान राजपूत निवासीयान बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम जिला करौली।
9. तहसीलदार टोडाभीम।

  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)



10. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)


दावा बावत स्तकरारहक घोषणा खातेदारी तकास्मा स्थाई निषेधाज्ञा  
मु0न0 106/18 एवं 117/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री संजय कुमार गहलोत एडवोकेट, मदनमोहन शर्मा एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू, श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट, श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः श्री भूपेन्द्र सिंह, योगराजेन्द्र सिंह पि. बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी बदलेटा बुजुर्ग हिस्सा बराबर को ग्राम बदलेटा बुजुर्ग की भूमि खसरा नम्बर 924 रकवा 0.42 है0 का, गुलाब कवंर पत्नि महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडनिया तहसील बसवा जिला दोसा को ख0न0 924/1 रकवा 0.22 है0 का, एवं गुलाब देवी पत्नि महावीरसिंह, दीपजाल सिंह, शेरसिंह पि0 महावीरसिंह, कल्पना, प्रीतिकवंर पुत्रिया महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडनिया तहसील बसवा जिला दोसा को ख0न0 924/2 रकवा 0.21 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तथा पक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे की हिस्से की आराजी के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। निर्णय एवं डिक्री की प्रति दोनो पत्रावलीयो मे शामिल की जावे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस  
मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख  
अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.01.2020 को  
जारी की गई।

  
उपजिला कलक्टर  
दस्तखत.....टोडाभीम (कटौली)  
ओहदा.....



मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
म्हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

